



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276839
CG-DL-E-06102026-276839

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5245]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5245]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5455(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में असम के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1.	श्री श्यामंता बेजबरा, सेवानिवृत्त पूर्व सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग), असम सरकार, ए1, रॉयल पर्ल अपार्टमेंट, मकान संख्या 1, मानिक नगर, आरजी बरुआ रोड, गुवाहाटी-781005	अध्यक्ष;
2.	डॉ. सोसिंद्र कुमार बोरठाकुर, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, वनस्पति- विज्ञान विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, 5सी-शिवमंदिर पथ, भागरबारी, पंजाबारी, गुवाहाटी-781037	सदस्य; और

3.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, असम सरकार, दिसपुर-06	सदस्य- सचिव।
----	---	-----------------

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय इस अधिसूचना के पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और एकमत से होंगे :

परंतु बहुमत द्वारा विनिश्चय किए जाने की दशा में, इसके समर्थन और विरोध में विचारों के व्यौरे, कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित होंगे और उनकी एक प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाएगी।

6. और, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए असम सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	नाम और पता	पदनाम
1.	श्री जतिंद्र शर्मा, आईएफएस(सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य, चांदमारी, मकान संख्या-27, अविष्ठा अपार्टमेंट के पास, गुवाहाटी-781021	अध्यक्ष;
2.	प्रोफेसर पार्थकर चौधरी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, असम विश्वविद्यालय, सिलचर (असम), पिन-788011	सदस्य;
3.	डॉ. राहुल महंता, सहायक प्रोफेसर, भौतिकी, कॉटन विश्वविद्यालय, डी3, प्रोफेसर कॉलोनी, कॉटन विश्वविद्यालय, दिघलीपुखुरी, गुवाहाटी -781001	सदस्य;
4.	डॉ. अरूप बरपुजारी, सिक्समाइल, वीआईपी रोड, बोरबारी, जोनाकी नगर, प्रतीक्षा अस्पताल के पास, मकान संख्या - 36-एबी, पीओ- हेंगराबारी, गुवाहाटी-781036	सदस्य;
5.	डॉ. अरूप कुमार शर्मा, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी- 781039	सदस्य;
6.	डॉ. भागवत प्राण दुआराह , प्रोफेसर, भूवैज्ञानिक विज्ञान विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी -781014 मकान संख्या -1, सेवली पथ, हाटीगांव-781038.	सदस्य;
7.	डॉ. नारायण शर्मा, सहायक प्रोफेसर, पर्यावरण जीवविज्ञान एवं वन्यजीव विज्ञान	सदस्य; और

	विभाग, कॉटन विश्वविद्यालय, पानबाजार, गुवाहाटी- 781001	
8.	सदस्य सचिव , असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बामुनिमैदाम, गुवाहाटी, पिन-781021	सदस्य सचिव।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावकों से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; और

(ख) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से पृथक् रखेंगे।

11. असम सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करवाएगा।

12. प्राधिकरण तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता असम सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

13. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकाल के अवसान से पूर्व, उन सिद्ध आरोपों के आधार पर हटाया जा सकता है, जो उपर्युक्त प्राधिकरण और समिति के उचित, दक्ष और निष्पक्ष रीति में कामकाज को प्रभावित करते हैं, और इन आरोपों में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे पर्यावरण अनापत्ति अनुदत्त करने या अस्वीकार करने के प्रस्तावों के प्रसंस्करण में विलंब शामिल हो सकता है।

[फा.सं. आईए3-13/5/2023-आई.ए.।।।]

चौधरी उदय गौरीशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5455(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Assam (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:-

Sl. No.	Name and Address	Designation
1.	Shri Shyamanta Bezbarua, Retd. Former Secretary, Public Works Department (Building and National Highway), Government of Assam, A1, Royale Pearl Apartment, House No.1, Manik Nagar, RG Baruah Road, Guwahati-781005.	Chairman;
2.	Dr. Socindra Kumar Borthakur, Retd. Professor, Botany Department, Gauhati University, 5C-Shivmandir Path, Bhagarbari, Panjabari, Guwahati-781037.	Member; and
3.	Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Assam, Dispur-06.	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

6. Further, Central Government, in consultation with the Government of Assam, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), Assam comprising of the following Members, namely: -

Sl. No.	Name and Address	Designation
1.	Shri Jatindra Sarma, IFS(Retd.), Former Chief Conservator of Forests & Field Director, Kaziranga National Park & Tiger Reserve, Chandmari, House No-27, Near Avishpa Apartment, Guwahati-781021.	Chairman;
2.	Prof. Parthankar Choudhury, Department of Ecology and Environmental Sciences, School of Environmental Science, Assam University, Silchar (Assam), Pin-788011.	Member;
3.	Dr. Rahul Mahanta, Associate professor, Physics, Cotton University, D3, Professor Colony, Cotton University, Dighalipukhuri, Guwahati - 781001.	Member;
4.	Dr. Arup Barpujary, Sixmile, VIP Road, Borbari, Jonaki Nagar, Near Pratiksha Hospital, House No 36-AB, PO- Hengrabari, Guwahati-781036.	Member;
5.	Dr. Arup Kumar Sarma, Professor, Department of Civil Engineering, IIT Guwahati, Guwahati- 781039.	Member;

6.	Dr. Bhagawat Pran Duarah Professor, Department of Geological Sciences, Gauhati University, Guwahati- 781014. House No-1, Sewali Path, Hatigaon-781038.	Member;
7.	Dr. Narayan Sharma, Assistant Professor, Department of Environmental Biology and Wildlife Sciences, Cotton University, Panbazar, Guwahati- 781001.	Member; and
8.	Member Secretary, Assam Pollution Control Board, Bamunimaidam, Guwahati, PIN-781021.	Member Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility, and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee shall, -

(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(b) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The Government of Assam shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Assam.

13. The Chairman or Members of the Authority and Committee are liable to be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Authority and Committee in a just, efficient and fair manner and the charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of Environmental Clearance beyond the timelines specified in the said notification.

[F. No. IA3-13/5/2023-IA.III]

CHAUDHARI UDAY GAURISHANKAR, Jt. Secy.